अध्याय IX: आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

9.1 आंतरिक दिशानिर्देशो का उल्लंघन करते हुए ऋण की मंजूरी

हडको के आंतरिक दिशानिर्देशों के विपरीत जाते हुए वित्तीय रूप से कमजोर उधारकर्ता/संरक्षक को ऋण की स्वीकृति, जो अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण चुकाने में व्यतिक्रमी था, के कारण अवमानक ऋण परिसंपत्ति तथा ₹628.47 करोड़ की संभावित हानि हुई।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) ने रिफाईनरी स्थापित करने के लिए नागार्जुन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (एनओसीएल) को ₹350 करोड़ का ऋण मंजूर किया (जुलाई 2007)। यह ऋण एक सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत मंजूर किया गया था। ऋण की किश्ते दिसंबर 2008 तथा मार्च 2013 के बीच वितरित की गई। ऋण के संवितरण के समय ही एनओसीएल ऋण के भुगतान सें व्यतिक्रम करने लगा था। ऋण जनवरी 2013 में अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) हो गया।

यह देखा गया कि एनओसीएल की रिफाईनरी परियोजना वित्तीय परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकी। दिसंबर 2011 में निधियों की कमी के कारण परियोजना गतिविधियाँ रूक गई। परियोजना लागत ₹ 4790 करोड़ (फरवरी 2007) से लगभग चार गुना अधिक बढ़ कर ₹18830 करोड़ (अगस्त 2015) हो गई। भारत (सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियो सहित) तथा विदेश से सामरिक निवेशक लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। इस संदर्भ में परियोजना की भावी सुग्राहयता संदिग्ध है और हडको को वित्तीय हानि होने की संभावना है क्योंकि ₹628.47 करोड़ (मूलधन ₹349.88 करोड़ तथा 30 जून 2016 तक ब्याज ₹ 278.59 करोड़) की मूलधन व ब्याज राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हडको ने अपने आंतरिक दिशानिर्देशों से हटकर एनओसीएल को ऋण मंजूर किया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

- एनओसीएल को ऋण की मंजूरी का प्रस्ताव हडको के बोर्ड द्वारा विचारार्थ लिया गया था (फरवरी 2007)। बोर्ड ने संरक्षको तथा परियोजना के विषय में कुछ आपत्तियाँ जताई थी:-

(i) संरक्षकों का पिछला रिकार्ड सही नहीं था और वे कारपोरेट ऋण पुनर्गठन के अधीन थे।

(ii) यूटीआई बैंक, करूर वैश्य बैंक तथा एक्जिम बैंक ने यह पुष्टि की कि एनओसीएल को दिया गया ऋण उनकी लेखा बहियों में अवमानक/एनपीए था।

(iii) उधारकर्ता एजेंसी के निदेशक का नाम आरबीआई के व्यतिक्रमियों की सूची पर था।

(iv) यूटीआई बैंक ने एनओसीएल और संरक्षकों के विरूध्द ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी।

विस्तृत चर्चाओं के बाद, बोर्ड ने ऋण नामंजूर कर दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि हडको के दिशानिर्देशों के अनुसार, एजेंसियों का पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड खराब होने की स्थिति में उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जाना था। इसके अलावा बोर्ड ने परियोजना की दीर्घकालिक सुग्राहयता के संबंध में भी आपत्ति व्यक्त की थी, क्योंकि परियोजना के लिए आयात किया गया मूल रिफाईनरी संयंत्र 1970 में निर्मित किया गया था और बहुत पुराना था।

- यही प्रस्ताव जून/जुलाई 2007 में बोर्ड को पुनः प्रस्तुत किया गया था। पहले व्यक्त की गई कुछ आपत्तियों (फरवरी 2007) के समाधान न होने पर भी बोर्ड ने ऋण का अनुमोदन किया। यूटीआई बैंक द्वारा एनओसीएल को दिया गया ऋण उनकी लेखा बहियों में अवमानक/एनपीए रहा। हडको द्वारा ऋण मंजूर किए जाने तक एनओसीएल के विरूद्ध ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास दायर याचिका विचाराधीन थी। इसके अलावा रिफाईनरी परियोजना की दीर्घकालिक सुग्राहयता संबंधी आपत्तियों का समाधान नहीं हुआ था। इस प्रकार, फरवरी 2007 में ऋण नामंजूर करने की कारक कई आपत्तियाँ जुलाई 2007 में ऋण मंजूर करने के समय तक मौजूद थी। एनओसीएल को जुलाई 2007 में स्वीकृत किया गया ऋण हडको के ऋण मंजूरी आंतरिक दिशानिर्देशों के विपरीत था।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2016) कि बोर्ड की टिप्पणियों के संबंध में प्रमुख ऋणदाता से स्पष्टीकरण मांगे गए थे और इन्हें संशोधित नोट के साथ जुलाई 2007 में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यूटीआई बैंक ऋण खाते का अंतिम निपटारा संवितरण - पूर्व शर्त के रूप में रखा गया था। प्रमुख ऋणदाता ने पुष्टि की (नवंबर 2008) कि एनओसीएल ने

यूटीआई बैंक की बकाया राशि का भुगतान कर दिया था जिसके बाद एनओसीएल को ऋण की पहली किश्त जारी की गई। इसलिए आंतरिक दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। आंतरिक दिशानिर्देशो के अनुसार, यदि एजेंसी उसके वर्तमान ऋणदाताओं का ऋण चुकाने में व्यतिक्रमी हो, तो ऐसी एजेंसी को ऋण नही दिया जाएगा। इस दिशानिर्देश के अनुरूप तथा रिफाईनरी परियोजना की दीर्घकालिक सुग्राहयता के संबंध में अनिश्चितता का विचार करते हुए बोर्ड ने फरवरी 2007 में एनओसीएल को ऋण नामंजूर कर दिया था। वास्तव में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव (फरवरी 2007) सभी आपत्तियों हेतु संवतरण-पूर्व शर्तों सहित एनओसीएल को ऋण मंजूर करने का था जिसे बोर्ड ने नामंजूर कर दिया था। जुलाई 2007 में संवितरण -पूर्व शर्तों सहित ऋण की मंजूरी के समय उपरोक्त अधिकांश आपत्तियाँ मौजूद थीं। ऋण भुगतान में व्यतिक्रम तथा ऋण लेखा के अवमानक होने की भावी घटनाओं ने यह पुष्टि की कि संरक्षकों की वित्तीय सुदृढ़ता के संदर्भ में बोर्ड की आशंकाएँ (फरवरी 2007) वास्तव में वैध थीं।

इस प्रकार हडको के आंतरिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक वित्तीय रूप से कमजोर उधारकर्ता/संरक्षक, जो कि अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के संबंध में व्यतिक्रमी था, को ऋण मंजूर करने के कारण अवमानक ऋण परिसंपत्ति और ₹628.47 करोड़ की संभावित हानि हुई।

मामला जनवरी 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।